**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**खंडपीठ :** **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

**माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण।**

**डब्ल्यू.पी. (सी.) क्रमांक 3631 वर्ष 2011**

छत्तीसगढ़ के निजी व्यावसायिक संस्थानों का संघ

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं 85 अन्य

**निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

**हस्ताक्षरित/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

**माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा**

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/–

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सुरक्षित : 12/09/2011

हस्ताक्षरित/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**खंडपीठ :** **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

**माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण।**

**डब्ल्यू.पी. (सी.) क्रमांक 3631 वर्ष 2011**

**याचिकाकर्ता** छत्तीसगढ़ के निजी व्यावसायिक संस्थानों का संघ,

एक संस्था जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के

प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, द्वारा सचिव शैलेन्द्र जैन,

कार्यालय पता : सी-15, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग,

मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2) तकनीकी शिक्षा निदेशालय,

निदेशक द्वारा, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक परिसर,

बायरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)।

**(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका)**

---

**उपस्थिति :** याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता।

राज्य/ उत्तरवादीगण की ओर से : श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता।

---

**निर्णय**

(12.09.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा दिया गया :

**(1)** इस रिट याचिका में विचारार्थ उठाया गया संक्षिप्त प्रश्न इस प्रकार है :—

"क्या राज्य द्वारा अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा-2011 में न्यूनतम 10% अंक प्राप्त करने की पात्रता शर्त निर्धारित कर राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिया गया निर्देश विधि विरुद्ध है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य के निजी महाविद्यालयों में अन्य राज्यों के लिए 10% कोटे में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक नोटिस जारी किया, जो अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ('अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (**AIEEE**)') में तैयार मेरिट सूची के आधार पर था। (आगे इसे "नोटिस" कहा गया है) उक्त नोटिस में प्रवेश के लिए निम्नलिखित मापदंड घोषित किए गए थे :—

**"प्रवेश हेतु योग्यता :"**

1. दिनांक 01.07.2011 को आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों के साथ रसायन विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जीवविज्ञान में से किसी एक विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं गणित में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा इन तीनों विषयों (मिलाकर) का प्राप्तांक न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार **AIEEE** – 2011 में न्यूनतम 10 प्रतिशत प्राप्तांक होना अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(3)** याचिकाकर्ता उस पात्रता मापदंड से असंतुष्ट है जिसमें कहा गया है कि **AIEEE**-2011 में न्यूनतम 10% अंक प्राप्त करना उक्त कोटे में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य है।

**(4)** याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सौरभ डांगी ने तर्क दिया कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मापदंड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (जिसे आगे **"AICTE"** कहा गया है) द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो यह नहीं कहते कि उम्मीदवारों को **AIEEE**-2011 में 10% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए, राज्य द्वारा काउंसलिंग नोटिस में यह शर्त लगाना **AICTE** द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

**(5)** दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने तर्क दिया कि उक्त मापदंड छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2011 (आगे **"नियम 2011"**) के आधार पर निर्धारित किया गया है; निर्धारित मापदंड उचित है और इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है; यह **AICTE** द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत नहीं है; राज्य के पास इस तरह के मापदंड निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है; इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

**(6)** हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की लंबी सुनवाई की और रिट याचिका के अभिलेख भी परख लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(7)** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (**AICTE**) ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं :—

| कार्यक्रम | अवधि | पात्रता |
|---|---|---|
| इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी | 4 वर्ष | 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें भौतिकी और गणित अनिवार्य विषय हों, साथ ही रसायन विज्ञान / जैवप्रौद्योगिकी / जीवविज्ञान में से कोई एक।<br>सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इन |

| | | |
|---|---|---|
| | | विषयों में कुल न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है; आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त छूट लागू होती है। |

**(8)** नियम 2011 में अन्य राज्य कोटे में प्रवेश के लिए संबंधित मापदंड नियम 2.7.1 (ख) द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है :—

**"(बी) ए.आई.ई.ई.ई."**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बी.ई. पाठ्यक्रम में अन्य राज्य कोटा की सीटों में प्रवेश हेतु अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को एआईईईई–2011 की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अन्य राज्य कोटा की सीटें एआईईईई–2011 के मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। एआईईईई की परीक्षा में शून्य अंक एवं ऋणात्मक अंक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। अन्य राज्य कोटा में केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। ए.आई.ई.ई.ई. में कम से कम 10 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

**टीप :** यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 9.5 या उससे ऊपर को 10

प्रतिशत एवं 4.5 या उससे अधिक को 5 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

**(9)** तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जारी आक्षेपित नोटिस में ऊपर उल्लिखित नियम 2011 के आधार पर न्यूनतम 10% अंक का मापदंड उल्लेखित किया है। ये नियम हमारे सामने चुनौती नहीं दिए गए हैं, और केवल ऑनलाइन काउंसलिंग आक्षेपित नोटिस में **AIEEE** के 10% अंक की शर्त पर चुनौती दी गई है।

**(10)** **<u>थिरुनतुका किरुपानंदा वेरियार थवथिरु सुंदर स्वामीगल मेडिकल एजुकेशनल & चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, (1996) 3 SCC 15</u>** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"**शिक्षा संबंधी विधायी शक्ति पहले संविधान की सातवीं अनुसूची में तीनों विधायी सूचियों में वितरित थी। संसद को यूनियन सूची (सूची **I**) के प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में विधायी शक्ति प्रदान की गई थी, जबकि राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची (सूची **II**) की प्रविष्टि 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में शक्ति प्रदान की गई थी, और संसद एवं राज्य विधानसभाओं को समानांतर सूची (सूची **III**) की प्रविष्टि 25 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में समानांतर शक्ति प्रदान की गई थी।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत, सूची **II** की प्रविष्टि 11 हटा दी गई और सूची **III** की प्रविष्टि 25 का विस्तार किया गया ताकि उन मामलों

को शामिल किया जा सके जो पहले सूची **II** की प्रविष्टि 11 में निर्दिष्ट थे। उक्त संशोधन के अनुसार, अब शिक्षा संबंधी विधायी शक्ति केवल संसद को प्रविष्टि 63 से 66 तक के मामलों में और प्रविष्टि 25 के सूची **III** मामलों में संसद और राज्य विधानसभाओं को रूपवर्ती से प्रदान की गई है।"

**(11)** **राज्य तमिलनाडु और अन्य बनाम S.V. ब्राथीप (अल्पवयस्क) और अन्य, (2004) 4 SCC 513** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूची **III** की प्रविष्टि 25 और सूची **I** की प्रविष्टि 66 को साथ में पढ़ा जाना चाहिए और इसे प्रवेश के मामले में विशिष्ट अधिकार के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। यदि सूची **I** की प्रविष्टि 66 के अनुसार कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, तो वे राज्य द्वारा सूची **III** की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत निर्धारित मानकों पर हावी होंगे, यदि वे केंद्र या उसके अधीन कार्यरत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। राज्य की नीति, जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं खोले जाने और पिछले वर्षों में खाली सीटों के आधार पर महाविद्यालयों को नए शिफ्ट या सीट वृद्धि की अनुमति नहीं देने की नीति शामिल थी, क्या यह **AICTE** द्वारा मान्यता देने से इनकार करने का सही आधार था? हमारे विचार में, **AICTE** अधिनियम, 1987 और उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह आधार सही नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(12)** इसलिए कानूनी स्थिति यह है कि यदि **AICTE** द्वारा किसी मानक का निर्धारण किया गया है, तो वे मानक राज्य द्वारा निर्धारित मानकों पर हावी होंगे, यदि राज्य के मानक **AICTE** द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित

करते हैं। यदि राज्य द्वारा निर्धारित मानक **AICTE** के मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते, तो वे तर्कसंगतता, उचितता और मनमानी की जाँच उत्तीर्ण करने पर जीवित रह सकते हैं।

**(13)** **<u>विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम कृष्णेंदु हल्दर और अन्य, (2011) 4 SCC 606</u>** में, सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>प्रीति श्रीवास्तव (डॉ.) बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 7 SCC 120</u>** के निर्णय के अनुच्छेद-11 को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया:

> 35.....संघ तथा राज्य दोनों को शिक्षा, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तथापि यह शक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-**I** की प्रविष्टि 66 के अधीन है, जो उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के निर्धारण तथा उन मानकों के समन्वय से संबंधित है। अतः राज्य को शिक्षा, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है, को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि वह क्षेत्र संघीय विधि द्वारा आच्छादित न हो। द्वितीयतः, राज्य शिक्षा को नियंत्रित करते समय उच्च शिक्षा संस्थानों में निर्धारित मानकों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि यह विषय पूर्णतः संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षा संस्थानों,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसमें उच्च चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, में प्रवेश के लिए मापदंड निर्धारित करते समय राज्य, सूची-I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत भारत संघ द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, इस विषय से संबंधित मामलों पर विचार करते समय यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि वर्ष 1977 से शिक्षा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा भी सम्मिलित है, समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दी गई है, जिससे संघ को प्रवेश के मापदंडों के संबंध में भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि संघ इस क्षेत्र में विधि निर्माण करता है, तो राज्य अनुच्छेद 254 में उपबंधित परिस्थितियों के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में विधि निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36.. यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश हेतु निर्धारित मानकों का शिक्षा के स्तर से कोई संबंध नहीं है, अथवा यह कि प्रवेश संबंधी नियम केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत ही आच्छादित हैं। प्रवेश के मानकों का शिक्षा के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। निस्संदेह, प्रवेश के संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत संघ द्वारा निर्धारित शिक्षा के मानकों के अनुरूप हों अथवा उन मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करते हों। उदाहरणार्थ, कोई राज्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सूची-I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त अतिरिक्त अर्हताएँ निर्धारित कर सकता है। यह उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्चतर मानकों को प्रोत्साहित करने के अनुरूप होगा। किंतु निर्धारित मानकों में किसी भी प्रकार की न्यूनता किए जाने से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वास्तव में ऐसा प्रभाव पड़ता भी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(14)** प्रीति श्रीवास्तव और कई अन्य निर्णयों के आधार पर, विश्वेश्वरैया (पूर्वोक्त) में यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय/राज्य द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानकों से उच्च मानक तय करना शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, जब तक यह स्थापित न हो कि ऐसे मानक मनमाने हैं या **AICTE** या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

**(15)** **राज्य तमिलनाडु और अन्य बनाम S.V. ब्राथीप (अल्पवयस्क) और अन्य, (2004) 4 SCC 513** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पर

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा सदैव बल दिया गया है। यदि न्यूनतम अंकों का स्तर अधिक निर्धारित किया गया है, तो इससे निस्संदेह उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रवेश के संदर्भ में उत्कृष्टता में वृद्धि होगी। राज्य, एआईसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त, सदैव कोई और अथवा अतिरिक्त अर्हता निर्धारित कर सकता है, यद्यपि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि निर्धारित उच्च मानकों के कारण बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाएँ।"

**(16) AIEEE** में न्यूनतम 10% अंक प्राप्त करने का मापदंड केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता। यह मापदंड तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया प्रतीत होता है। तर्क के दौरान हमें बताया गया कि **AIEEE** में 10% से कम अंक, शून्य अंक या यहां तक कि ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी राज्य के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण सरकार ने उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10% का न्यूनतम मानक निर्धारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह साबित नहीं कर सके कि यह मापदंड मनमाना या तर्कहीन है। आजकल शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय एवं बोर्ड परीक्षाओं में छात्र 90-95% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तथा उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। तकनीकी शिक्षा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य ने **AIEEE** में न्यूनतम 10% अंक का मापदंड निर्धारित किया है, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। अतः राज्य द्वारा निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु **AIEEE**-2011 में न्यूनतम 10% अंक प्राप्त करने की पात्रता शर्त निर्धारित करना विधि-व्यवहार के खिलाफ नहीं है। यह केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता, न ही यह मनमाना या तर्कहीन है, और राज्य की यह कार्रवाई संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **I** की प्रविष्टि 66 और सूची **III** की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत वैधानिक अधिकारों के भीतर है।

**(17)** उपरोक्त कारणों से, हमें रिट याचिका में कोई ठोस आधार दिखाई नहीं देता। रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य  है और इसे एततद्द्वारा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(18)** वाद- व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

**हस्ताक्षरित/-**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

**हस्ताक्षरित/-**
**राधे श्याम शर्मा**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By: Aastha Verma**